

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ०प्र०, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 8 अप्रैल, 2011

विषय : सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या 03/खा०ग्रा०बो०/प्रशि०-कौ०सु०प्र०-2011-12 दिनांक 07.04.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना, सामान्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 72,00,000.00 (रुपये बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि में से प्रथम छ. माह के लिए पचास प्रतिशत की धनराशि रु० 36,00,000.00 (रुपये छत्तीस लाख मात्र) की अवशेष धनराशि स्वीकृत कर संलग्नक फॉट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निर्वाह पर धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

41
15-4-11

प्राचार्य/प्रशि

13.04.11
उ-07-08

- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बतौर प्रा.सं. सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर उ०प्र० एवं अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी०एम०-08, (व्यय नियंत्रण) अनुभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद या उनके द्वारा प्रेषित अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल या उनके द्वारा प्रेषित किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट ऑडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
- निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा शासन के वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध हो जाये।

प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-05 के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-26-कौशल सुधार प्रशिक्षण-44-प्रशिक्षण हेतु साधन एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

इसे आदेश वित्त विभाग की कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में जारी किया गया है। वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या : २४८ (1)/59-2-2011-18(खा)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-3
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 30प्र0, 126, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव

**वर्ष 2011-12 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (सामान्य) हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की
प्रथम छःमाह के लिए वित्तीय स्वीकृति**

क्रमांक	केन्द्र का नाम	घनराशि (लाख रु० में)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	4.00	200
2.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	3.00	150
3.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़	2.50	125
4.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ	2.50	125
5.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	2.50	125
6.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अनुवा, इलाहाबाद	3.50	175
7.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन	5.50	275
8.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहांपुर	3.00	150
9.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, अडिग, मथुरा	4.00	200
10.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	5.50	275
	योग	36.00	1800

(रुपये छत्तीस लाख मात्र)


(डा० अशोक चन्द्र)

संयुक्त सचिव